न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजकीय माध्यमिक विधालय नोख

प्रार्थीगण

1.पीराराम पुत्र भूराराम 2. लाभूराम पुत्र भूराराम 3. गवरीदेवी पत्नि भूराराम 4. मोबताराम पुत्र बागाराम 5. साजनराम पुत्र बागाराम 6. पेमाराम पुत्र केहराराम जातियान जाट निवासी नोख, तहसील एवं जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1.खूमाराम पुत्र टीकूराम 2. भैराराम पुत्र टीकूराम 3. चुतराराम पुत्र टीकूराम 4. आसूराम पुत्र टीकूराम 5. खेराजराम पुत्र भूराराम 6. मालाराम पुत्र भूराराम 7. सोनाराम पुत्र भूराराम 8. नैनाराम पुत्र भूराराम 9. ताजाराम पुत्र हरचन्दराम जातियान जाट निवासीगण नोख, तहसील व जिला बाडमेंर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या–157/2021

दिनांक–26.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नौख, पटवार मण्डल खुडासा तहसील व जिला बाडमेंर के खेत खसरा नम्बर 73 रकबा 23.16 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 100.19 बीघा, खसरा नम्बर 152 रकबा 10.15 बीघा, खसरा नम्बर 160 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 162 रकबा 139.03 बीघा कुल रकबा 275 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6461 – 6464
दिनांक– 26/11/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुड़ासा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ग करावें।
3. प्रार्थी पीराराम पुत्र भूराराम वगैरा जाति जाट निवासी नोख, तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी खूमाराम पुत्र टीकूराम वगैरा जाति जाट निवासी नौख, तहसील व जिला बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर